P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-4* (Part-1) December- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

भारतीय लोकतन्त्र में कृषक : दशा एवं दिशा

उमा बड़ौलिया
सह आचार्य,
विभाग,
राजकीय कला कन्या
महाविद्यालय,
कोटा

राजमल मालव
सह आचार्य,
विभाग,
राजकीय कला कन्या
महाविद्यालय,
कोटा

सारांश

प्रजातन्त्र के इस युग में भारत में कृषक वर्ग जिन हालातों से गुजर रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। भीषण कर्ज के बोझ तले दबे किसान राजव्यवस्था से मदद पाने सड़क पर मार्च कर रहे हैं। शहरी मध्यवर्ग अब किसानों का साथ देता लग रहा है। विश्व स्तर पर भूख व खाद्य सुरक्षा के लिए योजनाओं व कार्यक्रमों की क्रियान्विति की जा रही है वही भारत में राजनीतिक दलों ने कृषकों के ऋण माफ करने का वादा कर सत्ता तक पहुँच बनाने का रास्ता खोज लिया है। क्या वे वास्तव में 70 वर्षो में नकारे गये इस वर्ग के जीवन स्तर में सुधार चाहते हैं या वोट बैंक बनाने की नयी रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए किसानों को स्वयं आगे आकर अपनी दशा व दिशा के व्यापक सकारात्मक उत्थान हेतु कारगर कदम उठाने होंगे। जमीन से जीवन रचने वाले समाज की अनदेखी करना किसी भी दल की सरकार और भारतीय लोकतन्त्र के लिए हानिकारक सिद्ध होगी।

मुख्य शब्द : प्रजातन्त्र, सामाजिक विधा, आर्थिक अनिवार्यता, क्रान्ति, स्वतन्त्रता समानता, सामाजिक रूपान्तरण, पुनर्निर्माण, आर्थिक विषमता, सहअस्तित्व, विकास/कल्याण परिवर्तन।

प्रस्तावना

वर्तमान युग प्रजातन्त्र का युग है एक राजनीतिक प्रणाली से आगे बढ़कर यह एक सामाजिक विधा, आर्थिक अनिवार्यता, सांस्कृतिक आदर्श और नैतिक मूल्य बनकर मानव जीवन के विविध पक्षों से सम्बद्ध हो गया है। डॉ0 सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इसे सामाजिक आर्थिक क्रान्ति की प्रक्रिया कहा था और गाँधीजी ने स्वतन्त्रता की खुशी मना रही भारत देश की जनता के नाम संदेश देते हुए कहा था कि अभी तो हमने राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त की है, हमें आर्थिक, सामाजिक और नैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना बाकी है, यद्यपि ये स्वतन्त्रताएँ राजनीतिक स्वतन्त्रता की तुलना में कम आकर्षक है लेकिन सामाजिक रूपान्तरण और पुनर्निर्माण का साधन अवश्य है।

26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान को देश की जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता का शासन'' के रूप में लागू किया गया तब प0 जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि हम संविधान के माध्यम से भूखों को भोजन देना, निर्वस्त्रों का तन ढकना, भारतीयों को उसकी पूरी क्षमता के अनुसार स्वयं को विकसित करने के अवसर देने का उद्देश्य रखते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि है कि हमने लोकतन्त्र को न सिर्फ राजनीतिक रूप से अपितु उसके समग्र स्वरूप को अपनाते हुए सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पक्षों को भी महत्वपूर्ण मानकर भारतीय जन के सम्पूर्ण जीवन स्तर में बहुआयामी विकास को राज्य का अनिवार्य लक्ष्य मान लिया था।

अपने सामाजिक स्वरूप में लोकतन्त्र समानता, सहयोग, सहकारिता, सहअस्तित्व को प्रश्रय देता है और सामाजिक विभेद और विषमता का अंत कर अवसरों की समानता देकर विशेषाधिकारों को समाप्त करने, विधि के समक्ष समानता व समान संरक्षण देने का साधन माना जाता है। वहीं अपने आर्थिक स्वरूप में आर्थिक समानता और स्वतन्त्रता लोकतन्त्र के आधार तत्व माने जाते हैं। काल मार्क्स का यह कथन उल्लेखनीय है कि ''अर्थ मानव और मानव सभ्यता का सर्वाधिक प्रमुख तत्व है, और आर्थिक विषमताएँ ही समस्त सामाजिक विसंगतियों और संघर्षो का कारण है।''

लोकतन्त्र के समर्थक विद्वानों का कहना है कि समाजवाद और मार्क्सवाद में सामाजिक व आर्थिक समानता के समानान्तर ही राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है लेकिन लोकतन्त्र में समानता स्वतन्त्रता और आर्थिक आत्मनिर्भरता स्वतः निर्धारित व सन्तुलित होने लगते हैं क्योंकि अपने राजनीतिक स्वरूप में लोकतन्त्र सदैव लोकनिर्णय की शक्ति के कारण लोक कल्याणकारी, लोक उत्तरदायी बना रहता है। शासक व शासित के हित समान समझे जाते हैं।

यह वही शासन पद्धति है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मूल्यवान समझते हुए समान महत्व और सार्थक सहयोग देकर समाज में बन्धुता बढ़ाने को एक उच्च आदर्श माना जाता है।

विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता देकर व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास के सर्वाधिक अवसर भी लोकतन्त्र में ही उपलब्ध करवाये जाते है। भारतीय लोकतन्त्र में उपरोक्त सभी लक्ष्यों आदर्शो को ठोस रूप प्रदान किया गया। संविधान के भाग तीन और चार में, जिनमें नागरिकों के मौलिक अधिकार और राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। यदि हमें भारतीय लोकतन्त्र के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक तत्वों का अवलोकन करना हो तो हमें निश्चित रूप से संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों को देखना होगा।

उल्लेखनीय है कि जहॉ मौलिक अधिकार न्याय योग्य है वहीं 1976 के संविधान संशोधन के बाद ही नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के समान ही महत्व प्रदान कर दिया गया है। कुल 16 अनुच्छेदों में से कुछ प्रावधानों का झुकाव समाजवादी विचारधारा की ओर है। जैसे कि अनुच्छेद(39) राज्य को ऐसी नीति निर्धारित करने का आदेश देता है जिससे समाज के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियन्त्रण सार्वजनिक कल्याण के लिए हो, अर्थव्यवस्था का संचालन ऐसा न हो कि उत्पादन के साधन और धन का केन्द्रीयकरण हो और सार्वजनिक हितों को हानि पहुॅचे। ऐसी परिस्थितियों का विरोध हो जिनमें नागरिकों को अपनी सामर्थ्य व आयु के प्रतिकूल व्यवसाय अपनाने के लिए विवश होना पड़े।

राज्य को यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वह ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित करें जिससे कृषि उद्योंगो तथा अन्य क्षेत्रों के धार्मिकों को कार्य करने, निर्वाह योग्य मजदूरी, उत्तम जीवन स्तर व सामाजिक, सांस्कृतिक सुअवसर प्राप्त हो सके। ये सभी प्रावधान संविधान में इसलिए रखे गये थे ताकि भारतीय सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था में भी सकारात्मक परिवर्तन लाये जा सकें।

यह तथ्य अतिश्योक्तिपूर्ण नहीं है कि अपने राजनीतिक स्वरूप में भारतीय लोकतन्त्र में जनता ने उत्तरोत्तर परिपक्वता का परिचय दिया है। लेकिन अपने सामाजिक व आर्थिक स्वरूपों में स्वतन्त्रता, समानता, कल्याण, विकास और नैतिक मूल्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है। यदि ऐसा हो पाता तो 2016–17 के मध्य मध्यप्रदेश में कृषकों के हिंसक आन्दोलन में सशस्त्र बलों की गोलाबारी में 6 कृषकों के मारे जाने, महाराष्ट्र, तमिलनाडू पंजाब और मुम्बई की सड़कों पर किसान मार्च व प्रदर्शन न हो रहे होते। आज भारतीय कृषकवर्ग को मध्यवर्ग का समर्थन मिलने से वे अपनी विचार व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी समस्यायें लेकर राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष पहुॅच रहे हैं।

आज भी भारत की 2/3 आबादी गांवों में रहती है जिनके पास आजीविका का मुख्य साधन खेतीबाड़ी व पशुपालन है। यह विचारणीय तथ्य है कि आजादी के संघर्ष में कृषक आन्दोलनों की मुख्य भूमिका थी जैसे बंगाल का नील विद्रोह (1859), पटना कृषक आन्दोलन (1873), खेड़ा कृषक आन्दोलन 1919, चम्पारन आन्दोलन आदि। आज भी इन कृषकों को वह सामाजिक, आर्थिक जीवन स्तर प्राप्त नहीं हो पाया है जिसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी।

अध्ययन का उद्देश्य

1. भारतीय लोकतन्त्र के स्वरूप पर प्रकाश डालना।
2. भारत में कृषि व कृषकों की स्थिति पर प्रकाश डालना।
3. कृषि से सम्बन्धित योजनाओं सुविधाओं पर प्रकाश डालना।
4. भारतीय लोकतन्त्र में कृषक वर्ग की भूमिका पर प्रकाश डालना।
5. कृषि से सम्बन्धित एप्स पर प्रकाश डालना।
6. राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई कृषि सम्बन्धी योजनाओं पर प्रकाश डालना।

1960 के दशक में उपजे खाद्यान्न संकट के समाधान रूप में 1967–68 में हरित क्रान्ति के माध्यम से देश को खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने, देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु कृषि विकास नीति बनायी गयी थी जिसमें निम्न बिन्दुओं पर कार्य किया जाना था।

1. बेहतर प्रौद्योगिकी से उत्पादकता में वृद्धि।
2. खेती की लागतों को कम करना।
3. कृषि में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्साहन।
4. कृषि संस्थाओं का गठन।

कृषि लागतों में कमी करने के लिए सब्सिडी देने के प्रावधान रखे गये। भारतीय खाद्य निगम, कृषि लागत मूल्य आयोग, नेफेड, ट्राइफेड जैसी संस्थाऐं स्थापित की गयी। इस रणनीति को व्यापक सफलता मिली। 2015 तक भारत में अपने खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 50% वृद्धि की देश खाद्य उत्पाद निर्यातक देश बन गया।

इन वर्षो में कभी भी कृषकों और कृषि पर निर्भर श्रमिकों की वास्तविक आय में सकारात्मक वृद्धि लाने पर ध्यान नहीं दिया गया। नीति निर्माता यही मानकर चले कि कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के साथ ही उनकी आय में स्वाभाविक वृद्धि होगी, जिससे उनके जीवन स्तर में भी समाज के अन्य वर्गो की भांति सुधार हो जायेगा लेकिन आज भारतीय समाज में एक नया वर्ग विभाजन सामने है शहरी वर्ग और ग्रामीण वर्ग सामाजिक रूप में आय व जीवन स्तर के पहलू पर दोनों वर्गो में टकराव की स्थितियॉ पारिवारिक स्तर पर देखी जा सकती है। 2017 में विश्व खाद्य दिवस की प्रमुख थीम ''भावी प्रवासिता को बदलिए, खाद्य सुरक्षा एवं ग्रामीण विकास में निवेश कीजिए'' रखी गयी थी। अर्थात् आज भी विश्व स्तर पर प्रवासिता खाद्य सुरक्षा ग्रामीण विकास ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसे में देश के कृषकों की आय को दोगुना करने की रणनीतिक पहल आकर्षक कही जा सकती है।

उल्लेखनीय है कि सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा भी किसानों की समस्या सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयास किये जा रहे हैं, जैसे–

1. कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना।
2. मेरा गॉव–मेरा गौरव।

3. एम–कृषि ऐप।
4. किसान सुविधा ऐप।
5. किसान कॉल सेंटर।
6. ई–चौपाल।
7. किसान चौपाल।
8. संदेश पाठक आवेदन पोर्टल।
9. ई–कृषि पोर्टल।
10. किसान क्रेडिट कार्ड।
11. पशु कृषि ऐप।
12. क्रॉप इंश्योरेंस ऐप।
13. एग्रीमार्केट ऐप।
14. पशु–पोषण ऐप।
15. गौकुल स्वास्थ्य–पत्र।
16. ई–पशुधन संजीवनी।
17. पशुधन संजीवनी।
18. प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना।
19. एक गाँव नेटवर्क।
20. एग्रोस्टार प्लेटफार्म।
21. स्काईमेट ऐप।
22. यूरेका प्रौद्योगिकी।
23. डी डी किसान चैनल।
24. मित्रा।
25. डिजिटल ग्रीन।
26. ग्रामोफोन कृषि ऐप।
27. खेतीबाड़ी ऐप।
28. जेफार्म सर्विसेज ऐप।
29. आर.एम.एल.फार्मर ऐप।

उपरोक्त सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सुविधाओं का लाभ लघु व सीमान्त कृषकों की पहूँच से काफी दूर है, क्योंकि इन्हें उन तक पहूँचाने के लिए सरकारी तन्त्र व व्यवस्था में बदलाव की आवश्यकता है ही साथ ही कृषकों को इस हेतु आवश्यक कौशल प्रदान करने की भी आवश्यकता है। आई.ए.एम.आई की भारत में इंटरनेट 2017 की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण व शहरी भारत में इंटरनेट के प्रयोग में बड़ा अंतराल है जो कि ग्रामीण भारत के तकनीक पिछड़ेपन का परिणाम है। ऐसे में उपरोक्त सुविधाओं का उपयोग कृषक नहीं कर रहा।

कृषि से सम्बन्धित अन्य योजनाएँ भी राज्य भर में संचालित है जो निम्न प्रकार हैः–

1. लघु सिंचाई हेतु– ब्लास्टिंग द्वारा कुँए गहरे कराना। सीमान्त कृषकों हेतु।
2. सामूहिक डीजल पम्पसेट वितरण – आदिवासी कृषक समूहों हेतु
3. व्यक्तित्व पम्पसेट योजना– अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले सीमान्त कृषकों हेतु।
4. उन्नत कृषि यंत्र योजना– अनुसूचित जाति के कृषकों का कृषि कार्य हेतु अनुदान देना।
5. विद्युतीकरण योजना
   अनुसूचित जाति के लघु/सीमान्त कृषकों को अनुदान पर बिजली कनेक्शन देना।
6. पशु हानि होने पर सहायता योजना लघु, सीमान्त, कृषकों व खेतिहर मजदूरों के पशुओं की प्राकृतिक आपदा से मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता।
7. व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा राशि योजना।
8. कृषक साथी योजना– कृषि व विपण के समय दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता।
9. कृषि श्रमिक बीमा योजना।
10. केशवबाड़ी योजना– अनुसूचित जाति/जनजाति/बी. पी.एल. परिवारों हेतु भूमि विकसित करने हेतु।
11. लघु सिंचाई योजना।
12. किसान क्रेडिट कार्ड योजना।

दीर्घकालीन ऋण हेतु

उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आज किसानों की स्थिति को बेहतर करने हेतु विभिन्न संस्थागत व प्रकार्यात्मक प्रयास सराहनीय है लेकिन क्या कारण है कि आज भी देश का किसान ढगा हुआ महसूस कर रहा है। यहॉ ध्यान देने वाली बात यह है कि कृषिगत उत्पादन के बेहतर विपणन में मुनाफा खोरी, काला बाजारी व बिचौलियों के कारण आय बढ़ाने वाली लाभ की मात्रा किसानों तक नहीं पहुँच पाई। आने वाली सरकारों को इस विषय पर नियन्त्रण की आवश्यकता रहेगी। अपने राजनीतिक हितों का पोषण करने वाले राजनीतिक दल जीवन को उर्जा देने वाले किसानो के कितने हितेषी होंगे। किसानों को इसके लिए सजगता से अपने मत का प्रयोग करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाने से ही उनके अच्छे दिन होंगे।

इस हेतु भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद के तहतृ 30 अप्रेल, 2016 को देश के जाने माने कृषि वैज्ञानिकों ने "Doubling Farmers Income by 2022" विषय पर राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित सुझाव दिये।

1. कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना।
2. जल व कृषि आगत नीतियॉ बनाना।
3. समेकित खेतीबाड़ी प्रणाली।
4. बेहतर बाजार कीमत प्राप्त करना।
5. विशिष्ट नीतिगत उपाय करना।

हरित क्रान्ति के जनक डॉ0 एम.एस. स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि किसानों की आय में पिछले वर्षो में 13.7% वार्षिक की चक्रवृद्धि दर से वृद्धि हुई है लेकिन कृषि प्रक्रियाओं व हस्तक्षेप की पुर्नसंरचना कर इसे 15% की दर से प्राप्त करना होगा। इस रिपोर्ट के बाद ही देश के कोने–कोने से कृषक समाज निरन्तर अपने आर्थिक अधिकारों की माँग राजनीतिक व्यवस्था से कर रहा है और होनी भी चाहिए क्योंकि आज भी देश के कुल मतदाताओं में कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा उनके परिवारजनों के मतों का सर्वाधिक अनुपात होने के बावजूद उन्हें देश में होने वाले आर्थिक विकास का लाभ नहीं मिल जाता है और इसी कारण वे सामाजिक रूप से भी पिछड़ेपन का शिकार हो रहे हैं।

वर्तमान में देश के तीन राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में सत्तासीन दलों को सत्ता से उपपदस्थ करने में किसानों ने कर्जमाफी कर्जमाफी के वादे के आधार पद दूसरे दल की सरकार को सत्ता सौंप दी है। लेकिन

कृषकों को यह समझना होगा कि उनके मतों की फसल को आगामी पॉच वर्षो के लिए काट लिया गया है। क्योंकि कृषि प्रदत्त ऋण माफी वह एकमात्र उपाय नहीं है जो उनकी स्थितियों में परिवर्तन ले आयेगा। उन्हें निरन्तर व्यवस्थाओं के प्रति सजग रहना होगा, योजनाओं की जानकारी रखनी होगी उनकी क्रियान्विति पर नजर रखनी होगी। उन्हें जरूरत है तो अंग्रेजी ज्ञान, तकनीक की जानकारी, और विपणन के तरीके जानने की। ये वे तरीके हैं जिनमें शहरी लोग उनसे बेहतर है, यदि वे एक दूसरे के पूरक बनकर कार्य करें तो उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। इसके अतिरिक्त निम्न सुधारों की दरकार है:–

1. नीति निर्धारण में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करना।
2. सूखे की समस्या का समाधान करना।
3. कृषि पैदावार को अपेक्षित दाम दिलाना।
4. सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता न हो।
5. कृषि उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना।
6. अत्याधुनिक तकनीकों के साथ प्राचीन तौर तरीकों का तालमेल।
7. कोल्ड स्टोरेज जैसी सुविधाओं की व्यवस्था।
8. खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का बढ़ावा।
9. खाद्य निगम व विशेषज्ञों की सिफारिशों को निष्पक्षता से लागू करना।
10. ग्रामीण प्रसाविता बसावट को महत्व देना।
11. कृषि ऋण की उपलब्धता के नवीन प्रावधान।
12. समेकित खेती बाड़ी प्रणाली का प्रोन्नयन।
13. छोटे मझोले और सीमान्त किसानों की समस्याओं को प्रत्येक स्तर पर निराकरण।
14. कृषि बजट का अधिकाधिक आवंटन।
15. कृषि क्षेत्र की मूल समस्याओं विसंगतियों पर विचार व क्रियान्विति।

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून ने 2012 में शून्य भूख चुनौती कार्यक्रम का शुभारम्भ किया था जिसका लक्ष्य था ऐसे विश्व का निर्माण करना जहॉ प्रत्येक व्यक्ति को पर्यापत पोषणयुक्त भोजन प्राप्त हो और यह उसी दिशा में सम्भव है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त भोजन प्राप्त करने का अधिकार हो पारिवारिक खेती को बढ़ावा दिये बिना और खाद्य नीति के अभाव में यह असम्भव है।

यद्यपि प्रत्यक्ष तौर पर भारत में कहीं भी भूखमरी की स्थिति नहीं पाई जाती लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसन्धान परिषद (संस्थान) द्वारा जारी वैश्विक सूचकांक 2017 के अनुसार वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति खराब है। 119 देशों की सूची में भारत का 100वॉं स्थान है, यह इस बात का सूचक है कि अर्थव्यवस्था में ऊँची वृद्धि दर देश के लोगों को खाद्य व पोषण की सुरक्षा की गारन्टी नहीं दे सकती बल्कि इसके लिए देश की राज व्यवस्था को कृषि और कृषकों की दशा के बारे में पुर्नविचार की आवश्यकता है।

आत्महत्या की दिशा में जाते हुए किसान को सम्मान जनक जीवन की दशा मिलनी ही चाहिए उन्हें भाग्य, भय और भ्रम की स्थिति से निकालने के लिए सबका साथ, सबका विकास का नारा लेकर सत्ता में आये प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करना मेरे लिए एक चुनौती है और अच्छी रणनीति अभिकल्पित कार्यक्रमों, संसाधनों व सुशासन से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है।

इस हेतु प्रधानमन्त्री जी ने सात सूत्रीय रणनीति प्रस्तुत की।

1. प्रतिबूँद अधिक फसल हेतु बड़े बजटीय आवंटन से सिंचाई पर ध्यान देना।
2. खेत की मिट्टी के स्वास्थ्य के आधार पर तीनों व पोषण तत्वों का प्रावधान।
3. फसलों की बर्बादी को रोकने के लिए भण्डार ग्रहों व शीत श्रृंखला में निवेश।
4. खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।
5. राष्ट्रीय कृषि बाजार का सृजन।
6. नई फसल बीमा योजना।
7. कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन जैसी सहायक क्रियाओं का प्रोन्नयन।

उपरोक्त सात सूत्रीय रणनीति आकर्षक है लेकिन कहीं ऐसा न हो कि अन्य योजनाओं की तरह यह योजना भी चोरी, मुफ्तखोरी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जायें। किसान सड़कों पर प्रदर्शन करता हुआ हिंसा का शिकार होता रहे, आत्महत्या करता रहे और लोकतन्त्र कर्जमाफी का वादा कर किसानों के मताधिकार की फसल काटता हुआ विकास का दम्भ भरता रहें।

निष्कर्ष

राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों में किये गये लोक लुभावन वादे सरकार की नीतियों से सम्बन्धित भी हो सकते हैं और प्रशासन द्वारा निष्पादित की जाने वाली नीतियों, योजनाओं से सम्बन्धित भी सरकार बनने के बाद इन वादों, घोषणाओं के पूर्ण न होने पर जन असन्तोष उत्पन्न होता है, जितना विलम्ब इनकी पूर्ति में किया जाता है जन असन्तोष उतना ही बढ़ता जाता है। भारतीय किसान आन्दोलन की दशा में विरोध व आन्दोलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, घाटे का सौदा बनी कृषि को अजीविका के रूप में अपनाने को तैयार नहीं, जो इसके लिए मजबूर है आत्महत्या कर रहे हैं। 1 मई, 2016 में शुरू की गई प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना विफल रही है। किसानों की बीमा योजनाओं की स्पष्ट जानकारी नहीं है, बीमा क्लेम में देरी, निजी बीमा कम्पनियों के पास संसाधनों का अभाव और ग्रामीण ढॉंचें में कमी के अलावा बिजली, पानी, सड़क और तकनीक यहॉ तक शिक्षा भी ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरह उपलब्ध नहीं हो पायी है। खेतिहर सभ्यता और औद्योगिक सभ्यता के बीच का संघर्ष जमीन से जीवन रखने वाले कृषक समाज के लिए एक चुनौती है, और उसके स्वयं के जागरूक हुए बिना कोई भी व्यवस्था या राजनीतिक वादा, योजना उसके अस्तित्व की रक्षा नहीं कर सकेगा। भारतीय लोकतन्त्र में अपेक्षित वर्गों में उम्मीद व बदलाव की चाहत भी एक सच्चाई है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *प्रतियोगिता दर्पण–अक्टू.2017, पेज नं 103; अगस्त 2017 पेज नं 79; अगस्त 2018 पेज नं 100; ।*
2. *राजस्थान पत्रिका– 07 दिस.2018 पेज नं.10; ।*

3. *हिन्दुस्तान टाईम्स– 28 नव. 2018;पेज नं.08; ।*
4. *डॉ. कृष्णकांत पाठक, समाज एवं राजनीतिक दर्शन–राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर; पेज नं.190–207; ।*
5. *राजनैतिक सिद्धान्त एवं सामाजिक पुर्ननिर्माण, टॉमस पैंथम, डॉ0 बृजभूषण पालीवाल– राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी जयपुर; पेज नं.1–11; ।*
6. *डॉ. ए.पी. अवस्थी, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगरा पब्लिकेशन,पेज नं.1–33; ।*